उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्याः114एम./नौ-7-14-64(लखनऊ)/2014
लखनऊ : दिनांक : 19 मार्च, 2014

## कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में इण्टरलॉकिंग व नालियों के निर्माण के संबंध में लगातार गम्भीर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कहीं-कहीं इण्टरलॉकिंग सड़कों का दुबारा भुगतान कर दिया गया है, जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। बहुत सी ऐसी सड़कें, जो पहले से ही सी.सी. रोड के रूप में निर्मित थीं, वहॉ रेत बिछाकर इण्टरलॉकिंग सड़कें बना दी गयी हैं। बिना बेस बनाये ही इण्टरलॉकिंग टाईल्स बिछा दी गयी हैं और बेस को केवल अभिलेखों में दिखाकर उसका भुगतान कर दिया गया है। प्रायः देखने में यह आया है कि सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलॉकिंग ईटों की गुणवत्ता अत्यन्त ही निम्न स्तर की है और यह ईटें घटिया रेत और कम सीमेन्ट से बनायी जा रही हैं, फलस्वरूप निर्माण के दौरान ही ईटों के किनारे टूटे हुए पाये जाते हैं और कहीं-कहीं तो पूरी ईटें ही टूट जाती हैं।

2. प्रदेश के नागर निकायों में इण्टरलॉकिंग सड़कों व नालियों के निर्माण में बरती गयी गम्भीर अनियमितता एवं प्रयुक्त अधोमानक निर्माण सामग्री की जॉच हेतु निम्नवत् एक समिति गठित की जाती है:-

(1) श्री अविनाश कृष्ण, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय - अध्यक्ष
(2) श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, सूडा - सदस्य
(3) संबंधित मण्डल के मुख्य अभियन्ता, नगर निगम - सदस्य
(4) संबंधित मण्डल के सी.एण्ड डी.एस. के अधिशासी अभियन्ता (सिविल), सदस्य

3. उक्त समिति से निम्नवत् अपेक्षा की जाती है:-

(1) ऐसी सड़कें जो घटिया सामग्री से बनी इण्टरलॉकिंग टाइल्स/ईटों से निर्मित हैं तो, उन ईटों को वीडियों रिकार्डिंग कराते हुए निकाला जाये।
(2) इण्टरलॉकिंग टाइल्स को निकाल कर कपड़े में लॉख से सील बन्द किया जाये तथा कपड़े पर संबंधित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त के क्रास हस्ताक्षर कराये जायें।
(3) इस प्रकार एक माह में प्रतिदिन एक नागर निकाय में तीस स्थानों से सड़क निर्माण में प्रयुक्त ईटों के नमूने लेकर उनकी वीडियों रिकार्डिंग को सुरक्षित रखते हुए जॉच की प्रक्रिया सम्पन्न की जाये।

(4) कार्यवाही की इस प्रक्रिया में पूर्वी, पश्चिमी व मध्य उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के सभी भागों को समान रूप से सम्मिलित किया जाये।

(5) समिति द्वारा जॉच प्रक्रिया के दौरान संबंधित नागर निकायों के अभिलेखों से साक्ष्य भी एकत्रित किया जायेगा।

4. उक्त जॉच समिति से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी विस्तृत रिपोर्ट एक माह के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।
2. श्री अविनाश कृष्ण, संयुक्त निदेशक, स्थनीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ।
3. श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, सूडा, उ.प्र., लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से प्रदेश के समस्त मण्डलों के सी. एण्ड डी. एस. के अधिशासी अभियन्ताओं (सिविल)/सदस्य जॉच समिति को सूचित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
अनु सचिव।